भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4369

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

अविवाहित महिलाओं हेतु योजनाएं

4369. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में अविवाहित महिलाओं सहित महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर राजस्थान की अविवाहित महिलाओं के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी है या शिक्षा संबंधी अथवा रोजगार संबंधी योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है और दौसा जिले में इन योजनाओं का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार उक्त योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक और मानसिक विकास की ओर भी ध्यान दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): राजस्थान राज्य में अविवाहित महिलाओं सहित महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश भर में कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस संबंध में प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 15 वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें तीन घटकों अर्थात (1), महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; और (3) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य, के तहत रखा गया है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण की पहलों को मजबूत करना है। इसमें महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं। "संबल" घटक महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए है और इसके प्रमुख घटक हैं, **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी),** जो जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा और पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल मदद प्रदान करती है, **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 181** सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। "सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। **शक्ति सदन** दुर्व्यापार की गई महिलाओं सहित संकटग्रस्त और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। **सखी निवास** (कामकाजी महिला छात्रावास) का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं में भी कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। **संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के

बारे में जानकारी और ज्ञान के अभाव को दूर करने के एक माध्यम का कार्य करता है।

(ii) **समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक सहित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं और उच्च शिक्षा और फेलोशिप के लिए छात्रवृत्ति** के साथ-साथ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे **'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन' (एनएमईआईसीटी) योजना, स्वयं (युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण का अध्ययन वेब), स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, पीएम ई-विद्या, एनईएटी (राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी गठबंधन)** आदि को अविवाहित महिलाओं सहित सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

(iii) बीमा कवरेज और पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)** कार्यान्वित की गई है।

(iv) **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)** जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों से संबंधित बड़ी संख्या में नागरिकों की मदद की, को लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा गया है।

(v) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम को कम करने और उनका जीवन आसान बनाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत **11.6 करोड़ से अधिक शौचालयों** का निर्माण किया गया है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से **10.3 करोड़** परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है और जल जीवन मिशन के माध्यम से **लगभग 15 करोड़ परिवारों** को **स्वच्छ पेयजल कनेक्शन** उपलब्ध कराया गया है।

(vi) **प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)** तथा **प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू)** का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर की व्यवस्था करके 'सबके लिए आवास' प्रदान करना तथा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आवास जरूरतों को पूरा करना है।

(vii) **आयुष्मान भारत** के तहत, सरकार 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को 1200 से अधिक मेडिकल पैकेजों के माध्यम से मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में गरीब महिलाओं तक स्वास्थ्य लाभ की पहुंच बढ़ाना है। इनमें से 141 से अधिक मेडिकल पैकेज सिर्फ महिलाओं की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इस योजना के तहत सात तरह की जांच (तपेदिक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और मोतियाबिंद) की जाती है जिससे करोड़ों महिलाओं को फायदा हुआ है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 150,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) समाज को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहा जाता है। **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई)** दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जिसमें गरीब और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(viii) देश भर में 13,000 से ज़्यादा **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके)** काम कर रहे हैं। पीएमबीजेके में महिलाओं के लिए 40 से ज़्यादा खास मदों समेत किफ़ायती दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा, **'सुविधा सैनिटरी नैपकिन'** नाम से सैनिटरी नैपकिन की बिक्री की भी व्यवस्था है जिसकी कीमत बेहद किफ़ायती 1 रुपये प्रति पैड है।

(ix) **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)** के तहत महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(x) **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता प्रदान करता है।

(xi) दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएम-जेडीवाई)** के तहत भी महिलाएं सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। यह पहल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, ऋण और बीमा सेवाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ तक पहुंच भी प्रदान करती है।

(xii) **स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना** बैंक ऋण और उद्यमशीलता कार्यकलापों को सुगम बनाती है और इससे महिला उद्यमियों को काफी लाभ हुआ है।

(xiii) **स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएमएसई)** जैसी योजनाएं

रोजगार/स्वरोजगार और ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं।

(xiv) **महिला कॉयर योजना** कॉयर विकास योजना का एक उप-घटक है। एमसीवाई 100% महिला उन्मुख और दो महीने का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कॉयर क्षेत्र में लगी ग्रामीण महिलाओं को परिष्कृत मशीनरी/उन्नत तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके और इस तरह वे आत्मनिर्भर रोजगार प्राप्त कर सकें।

*****